न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 65/2018

आरसीएमएस नम्बर– 2018/00389

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
अमरीशभाई पुत्र दलसुखराम जाति गर्ग निवासी सोमेसर तहसील रानी		1 आनन्द प्रसाद पुत्र दलसुखराम जाति गर्ग निवासी सोमेसर तहसील रानी 2 ग्राम पंचायत भादरलाउ जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक- 20/02/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 24/2013–2014 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 19.08.2013 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 21 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो भाई हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी एवं अन्य सम्पतियां प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दलसुखराम की सम्पति थी। जैर निगरानी विवादित आराजी दलसुखराम को अपने पिता चमना जी से प्राप्त हुई, इस कारण उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि हैं। प्रार्थी के पिता ने अपनी सम्पति का पारिवारिक सेटलमेन्ट वर्ष 2006 में किया, जिसके अनुक्रम में एक लिखतनामा दिनांक 27.11.2007 को ग्राम सोमेसर में निष्पादित किया, उस लिखत अनुसार जैर निगरानी विवादित भूमि पर स्थित मकान प्रार्थी के हिस्से में रखा गया। चूंकि उक्त भूमि दलसुखराम को पुश्तैनी प्राप्त हुई थी, जिसका पट्टा संख्या 56 दिनांक 16.06.1972 को दलसुखराम द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत से प्राप्त किया था। इस पट्टे की जानकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों को ही रही हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए पट्टासुदा भूमि पर दुबारा स्वयं के नाम से पट्टा जारी करवा

अति० जिला कलक्टर, पाली

लिया, जो विधि विरूद्ध हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष मिथ्या तथ्य अंकित करते हु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया, जो विधि विरूद्ध हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से दिनांक 28.12.2007 को एक बेचाननामा दलसुखराम जी से निष्पादित करवाया, जिसमें जैर निगरानी विवादित आराजी पर स्थित मकान दलसुखराम जी द्वारा स्वयं को बेचान करना बताया। प्रथमतः तो दलसुखराम जी को उक्त मकान एवं पुश्तैनी भूमि को बेचान करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उक्त सम्पति पुश्तैनी थी, जिसमें प्रार्थी का भी हित निहित था। द्वितीय जब सम्पति का विभाजन किया जा चुका था, इस स्थिति में भी दलसुखराम जी उक्त सम्पति का बेचान नहीं कर सकते थे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दलसुखराम जी को बहला फुसलाकर उक्त बेचाननामा प्राप्त किया है, जो प्रार्थी के अधिकारों के प्रति शून्य प्रभावी हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। पंचायत द्वारा पूर्ण जांच की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 2012 (2) पेज 602, डी0एन0जे0 2015 (4) पेज 1853 तथा डी0एन0जे0 2008 (2) पेज 735 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भादरलाउ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.06.2013 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 15.06.2013 को सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया गया, जिसमें वांछित भूमि के उत्तर में लालचंद का प्लोट, दक्षिण में बालूसिंह का प्लोट, पूर्व में आम रास्ता तथा पश्चिम में आम रास्ता डुठारिया होना अंकित किया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 20.06.2013 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को मनोनीत किया गया। पंचों ने अपनी रिपोर्ट में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 06.07.2013 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें एक माह का आपत्ति

अति० जिला कलक्टर, पाली

इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। इसके पश्चात दिनांक 19.08.2013 जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। इस पट्टे की उत्तरी एवं दक्षिणी भुजा क्रमशः 65 फुट–65 फुट थी एवं पूर्वी–पश्चिमी भुजा क्रमशः 17–17 फुट थी।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त अवश्य ही सम्माननीय है, जिनमें निगरानी को युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत किया जाना ही न्यायोचित माना हैं। हालांकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में निगरानी प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं हैं। जहां तक युक्तियुक्त समय की संगणना का प्रश्न है, तो वह प्रकरण की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह पूर्णतः दूषित है तथा विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा अपने श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में यह व्यवस्था प्रदान की है कि जब कोई आदेश अथवा आदेश को पारित करने में अपनाई गई प्रक्रिया आरम्भ से ही दूषित हो अथवा शून्य प्रभावी हो, तो उस आज्ञा को निरस्त करने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यवाही में मियाद के अधिनियम बाधित नहीं करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होतें हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य आधार यह भी रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी विवादित आराजी का प्रार्थी के पिता के नाम पूर्व में पट्टा जारी होने के बावजूद दुबारा पट्टा जारी करवाया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के पित दलसुखराम पुत्र चमनाजी के नाम जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 16.06.1972 तथा जैर निगरानी पट्टे के पडौस का मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे में वही पडौस व क्षैत्रफल अंकित किए गए है, जो प्रार्थी के पिता के नाम नाम जारी पट्टे में दर्ज हैं। इससे यह पुख्ता होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उस पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं हैं। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए गए बैठक कार्यवाही विवरण के अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि बैठक कार्यवाही विवरण में विभिन्न बैठकों की कार्यवाही का इन्द्राज रजिस्टर में किया ही नहीं गया तथा खाली पन्नों पर सरपंच एवं कोरम के हस्ताक्षर करवाए गए है, जो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति बरती जा रही अनियमितता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता हैं। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री शेषाराम मेघवाल के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम (अपील, नियन्त्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उक्त ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री शेषाराम मेघवाल के कार्यकाल में हुए कार्यो एवं कार्यवाही की जांच करवाई जावे तथा की

अति० जिला कलेक्टर, पाली

गई कार्यवाही का प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। चूंकि प्रकरण में विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा जारी होने के बावजूद जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 24/2013–2014 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 19.08.2013 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 21 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रति तहरीर के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे तथा निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली